राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1049 / 2005

विश्राम लाल मीणा —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग, राजस्थान सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, मत्स्य विभाग, गांधी नगर, टोंक रोड़, जयपुर।
3. परियोजना अधिकारी, मत्स्य विभाग, दौसा।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.08.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय दत्त, अधिवक्ता,

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.09.2005 (अनुलग्नक 6) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने 18 वर्ष पर स्वीकृत वित्तीय चयनित वेतनमान के आदेश को आगामी आदेश तक स्थगित किया था एवं यह भी आदेश दिया था कि अपीलार्थी का वेतन उनकी पूर्व वेतन श्रृंखला 2650–4000 में ही आहरित किया जायें।
2. इस अधिकरण द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 08.05.2011 उक्त आलोच्य आदेश दिनांक 02.09.2005 को स्थगित किये जाने के आदेश पारित किये गये थे।
3. प्रत्यर्थी विभाग ने इस प्रकरण में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है।
4. प्रकरण की पत्रावली पर गुणावगुण पर विचार किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को स्वीकृत द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने के आदेश को स्थगित किया था। प्रत्यर्थी विभाग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि अपीलार्थी के द्वितीय चयनित वेतनमान के लाभ को स्थगित किये जाने का क्या कारण रहा है।
5. उपरोक्त परिस्थिति में प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को द्वितीय चयनित का लाभ दिये जाने के संबंध में पुनः जांच कर उचित आदेश पारित करें। उपरोक्त आदेश की पालना माह में की जाए।
6. उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)